न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(बाल मुकुन्द असावा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
राजस्व अपील संख्या: 08/2013
दायर दिनांक: 20.03.2013
निर्णय दिनांक 15.04.2025

—: अनवान :—

1. नारायण लाल पिता श्री मांगीलाल जी तेली, निवासी मोही तहसील व जिला राजसमन्द
2. गणेशलाल पिता श्री मांगीलाल जी तेली, निवासी मोही, तहसील व जिला राजसमन्द
3. रामेश्वरलाल पिता श्री मांगीलाल जी तेली, निवासी मोही तहसील व जिला राजसमन्द
4. शंकरलाल पिता श्री मांगीलाल जी तेली, निवासी मोही, तहसील व जिला राजसमन्द

— अपीलान्टगण

बनाम

1. श्री शंकरलाल पिता मोहनलालजी आचार्य, निवासी मोही, तहसील व जिला राजसमन्द के बजाय

1/1 श्रीमती कान्ता पत्नि स्व. शंकरलाल आचार्य निवासी मोही तहसील व जिला राजसमन्द

1/2 श्रीमती शारदा पुत्री स्व. शंकरलाल जी आचार्य पत्नि सुरेशचन्द्र जी शर्मा निवासी केकड़ी जिला अजमेर

1/3 मधुसूदन पिता स्व. शंकरलाल जी आचार्य निवासी मोही तहसील व जिला राजसमन्द

2. पुष्करलाल पिता मोहनलालजी आचार्य, निवासी—मोही, तहसील व जिला राजसमन्द
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, राजसमन्द

— रेस्पोडेन्टगण

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द प्रकरण संख्या 01/2010 शंकरलाल बनाम नारायण वगैरा आदेश दिनांक 03/09/2012 से व्यथित होकर अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

उपस्थितः–

1– श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अपीलान्ट

2– संपत लाल लढ्डा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01

3– रेस्पो. संख्या 2 (एकपक्षीय कार्यवाही)

4– श्री अनिल बागोरा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 03

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द के प्रकरण सं. 01/2010, आदेश दिनांक 03.09.2012, शंकरलाल बनाम नारायण वगैरा से व्यथित होकर अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि राजस्व ग्राम मोही में हमारी खातेदारी की आराजी नम्बर 2594, 2595, 2596 पर जाने का रास्ता जो कि ग्राम मोही की आराजी नम्बर 2592 गैर मुमकिन रास्ता श्री नारायणलाल, शंकरलाल वगैरा के नाम पर दर्ज है तथा उसी रास्ते से होकर आगे जाने की तरफ आराजी नम्बर 2593 पर रास्ता अवरूद्ध कर दिया है, जिसे खुलवाया जावे। उक्त आवेदन पर अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर सुनवाई हेतु विपक्षी को नोटिस जारी किये जिस पर विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता प्रदीप शर्मा द्वारा प्रारम्भिक आपत्ति दिनांक 20/06/2011 को पेश की गई। जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि उक्त रास्ते के संबंध में पूर्व में प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरूद्ध न्यायालय सहायक कलक्टर राजसमन्द के यहां पर विपक्षीगण के पिता के विरूद्ध वाद पेश किया था जिसे न्यायालय सहायक कलक्टर द्वारा खारिज किया गया जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के यहां पर पेश की गई जो भी खारिज की गई। राजस्व मण्डल में भी उसकी अपील पेश की, जो भी खारिज की गई। इस प्रकार इस रास्ते के संबंध में प्रार्थी द्वारा पेश किये गये विवाद का निस्तारण न्यायालय सहायक कलक्टर, राजसमन्द, राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर एवं राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निर्णय कर दिया गया है, उसी अनुतोष के लिये यह कार्यवाही की गई है जो धारा 11 जा०दी० के तहत रेसज्युडिकेटा के सिद्धान्त से विधि से वर्जित है, इसी आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे, साथ ही यह भी निवेदन किया गया कि राजस्व न्यायालय द्वारा उक्त अनुतोष के संबंध में पूर्व में निर्णय पारित किया है, इसलिये इस न्यायालय को उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई का अब अधिकार नहीं है, इस कारण से प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। उक्त प्रारंभिक आपति का कोई जवाब रेस्पो. संख्या 1 व 2 द्वारा नहीं दिया गया न ही इस प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई निर्णय पारित किया और सीधे ही प्रकरण में निर्णय पारित कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दिया है जो विधि विरूद्ध है। जिसके विरुद्ध यह अपील इन आधारों पर प्रस्तुत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं विधि के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का सही रूप से अवलोकन नहीं किया है और निर्णय पारित करने में भारी विधिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत याचिका को अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर सुनवाई की है। अधीनस्थ न्यायालय ने

प्रार्थना पत्र को गलत रूप से दर्ज किया है। अधीनस्थ न्यायालय को धारा 251 के तहत उक्त मामले की सुनवाई का अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 के प्रकरण को दर्ज करने में भारी विधिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह उल्लेखित किया गया है कि अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया है जो संलग्न पत्रावली है, विधि के विपरीत है। अधिवक्ता ने प्रकरण में प्रारम्भिक आपत्ति प्रस्तुत की गई थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रारम्भिक आपत्ति को निर्णित नहीं किया और उसको निर्णित किये बगैर ही अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया गया है, जो विधि विरुद्ध है। जब एक ही विवाद के लिये अधीनस्थ न्यायालय से भी उच्च न्यायालय ने प्रार्थी के मामले को अस्वीकार कर दिया था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उसी बिन्दू पर बिना शहादत लिये प्रार्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिये बगैर उसके द्वारा ली गई आपत्ति का निस्तारण किये बगैर मनमकसूद तरीके से निर्णय पारित किया है जो न केवल विधि विरूद्ध है, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत भी है। उक्त निर्णय से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किये बगैर ही निर्णय पारित किया है अन्यथा आदेश में ऐसी स्थिति नहीं होती। आदेश ही अपने आप में विधि विरूद्ध है। आदेश में यह उल्लेखित किया गया कि जवाब विपक्षी द्वारा प्रस्तुत किया गया, लेकिन कहीं यह उल्लेख नहीं है कि क्या जवाब पेश किया गया है क्योंकि वास्तव में पत्रावली पर कोई जवाब ही विपक्षी द्वारा पेश नहीं किया गया। विपक्षी द्वारा तो जवाब से पूर्व ही प्रारम्भिक आपत्ति का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जिसका निस्तारण किये बगैर ही अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किये बगैर ही निर्णय पारित कर दिया है। पत्रावली पर कोई साक्ष्य नहीं होते हुए भी गलत रूप से साक्ष्य का विश्लेषण किया गया है और निर्णय पारित किया गया है जो विधि विरुद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिन्दू पर भी मनन विचार नहीं किया गया कि आराजी नम्बर 2599, 2600 जो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की खातेदारी की है और यह भूमि आम रास्ते से जुड़ी हुई है और मोही जाने वाले रास्ते पर स्थित है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने नया रास्ता कायम करने के लिये उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए नया रास्ता निकालने का आलौच्य आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध हैं। धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय को नया रास्ता सृजित करने का अधिकार नहीं है लेकिन उक्त प्रार्थनापत्र के जरिये अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 के पक्ष में नया रास्ता सृजित करने में भारी विधिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में न्यायालय सहायक कलक्टर, राजसमन्द द्वारा पारित किये गये निर्णय को नजरअन्दाज करते हुए उक्त आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध है। जब राजस्व न्यायालय में नियमित वाद में रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 का बाद इसी रास्ते के संबंध में खारिज किया है। जब नियमित वाद खारिज कर अनुतोष प्रदान नहीं किया गया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने संक्षिप्त कार्यवाही में बिना साक्ष्य सबूत के मूल वाद में चाहे गये अनुतोष से भी अधिक अनुतोष प्रदान कर दिया है जो विधि विरूद्ध है। अतः प्रार्थना है कि अपीलान्ट की अपील को स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आलोच्य आदेश अपास्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री संपत लाल लड्ढा उपस्थित हुए। तथा रेस्पो.

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

संख्या 2 के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की आज्ञा पारित की गई एवं रेस्पो.सं. 03 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए।

उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया है कि राजस्व ग्राम मोही में हमारी खातेदारी की आराजी नम्बर 2594, 2595, 2596 पर जाने का रास्ता जो कि ग्राम मोही की आराजी नम्बर 2592 गैर मुमकिन रास्ता श्री नारायणलाल, शंकरलाल वगैरा के नाम पर दर्ज है तथा उसी रास्ते से होकर आगे जाने की तरफ आराजी नम्बर 2593 पर रास्ता अवरूद्ध कर दिया है, जिसे खुलवाया जावे। उक्त आवेदन पर अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर सुनवाई हेतु विपक्षी को नोटिस जारी किये जिस पर विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता प्रदीप शर्मा द्वारा प्रारम्भिक आपत्ति दिनांक 20/06/2011 को पेश की गई। जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि उक्त रास्ते के संबंध में पूर्व में प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरूद्ध न्यायालय सहायक कलक्टर राजसमन्द के यहां पर विपक्षीगण के पिता के विरूद्ध वाद पेश किया था जिसे न्यायालय सहायक कलक्टर द्वारा खारिज किया गया जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के यहां पर पेश की गई जो भी खारिज की गई। राजस्व मण्डल में भी उसकी अपील पेश की, जो भी खारिज की गई। इस प्रकार इस रास्ते के संबंध में प्रार्थी द्वारा पेश किये गये विवाद का निस्तारण न्यायालय सहायक कलक्टर, राजसमन्द, राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर एवं राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निर्णय कर दिया गया है, उसी अनुतोष के लिये यह कार्यवाही की गई है जो धारा 11 जा०दी० के तहत रेसज्युडिकेटा के सिद्धान्त से विधि से वर्जित है, इसी आधार पर प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे, साथ ही यह भी निवेदन किया गया कि राजस्व न्यायालय द्वारा उक्त अनुतोष के संबंध में पूर्व में निर्णय पारित किया है, इसलिये इस न्यायालय को उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई का अब अधिकार नहीं है, इस कारण से प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। उक्त प्रारंभिक आपति का कोई जवाब रेस्पो. संख्या 1 व 2 द्वारा नहीं दिया गया न ही इस प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई निर्णय पारित किया और सीधे ही प्रकरण में निर्णय पारित कर प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर दिया है जो विधि विरूद्ध है अधीनस्थ न्यायालय को धारा 251 के तहत उक्त मामले की सुनवाई का अधिकार नहीं है। धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय को नया रास्ता सृजित करने का अधिकार नहीं है लेकिन उक्त प्रार्थनापत्र के जरिये अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 के पक्ष में नया रास्ता सृजित करने में भारी विधिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में न्यायालय सहायक कलक्टर, राजसमन्द द्वारा पारित किये गये निर्णय को नजरअन्दाज करते हुए उक्त आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध है। जब राजस्व न्यायालय में नियमित वाद में रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 का बाद इसी रास्ते के संबंध में खारिज किया है। जब नियमित वाद खारिज कर अनुतोष प्रदान नहीं किया गया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने संक्षिप्त कार्यवाही में बिना साक्ष्य सबूत के मूल वाद में चाहे गये अनुतोष से भी अधिक अनुतोष प्रदान कर दिया है जो विधि विरूद्ध है। अतः प्रार्थना है कि अपीलान्ट की अपील को स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आलोच्य आदेश अपास्त फरमाया जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से /3 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्टगण ने अपीलार्थीगण के विरूद्ध रेस्पोडेन्टगण का खेतो में आने जाने का रास्ता अवरूद्ध किये जाने से रास्ता खुलवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाकर, मौका रिपोर्ट तलब की जाकर व न्यायिक प्रक्रिया की पूर्ण पालना की जाकर निर्णय पारित किया गया। उक्त रास्ते के संबंध में पूर्व में भी न्यायालय सहायक कलक्टर राजसमन्द के यहां विचाराधीन प्रकरण में रास्ते व धोरे संबंधी तनकी संख्या 1 व 4 हम रेस्पोडेन्टगण के पक्ष में निर्णित की गई थी। अंतर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत दर्ज प्रकरण का श्रवणाधिकार तहसीलदार को प्राप्त है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमायी जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गहन मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द की पत्रावली के अवलोकन पर पाया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 शंकरलाल, पुष्करलाल पिता मोहनलाल आचार्य ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम मोही में हमारी खातेदारी की आराजी नम्बर 2594, 2595, 2596 पर जाने का रास्ता जो कि ग्राम मोही की आराजी नम्बर 2592 गैर मुमकिन रास्ता श्री नारायणलाल, शंकरलाल वगैरा के नाम पर दर्ज है तथा उसी रास्ते से होकर आगे जाने की तरफ आराजी नम्बर 2593 पर रास्ता अवरूद्ध कर दिया है, जिसे खुलवाया जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का प्रथम श्रवणाधिकार ग्राम पंचायत मोही का होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण ग्राम पंचायत मोही को निस्तारण हेतु प्रेषित किया गया। ग्राम पंचायत मोही द्वारा प्रकरण नियत समयावधि में निस्तारित नहीं किये जाने से रेस्पोडेन्ट शंकरलाल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पत्रावली ग्राम पंचायत मोही से पुनः तलब कर निर्णय करने हेतु निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत मोही से मूल पत्रावली तलब की जाकर प्रकरण अंतर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत दर्ज रजिस्टर कर अपीलार्थीगण नारायणलाल, गणेशलाल, रामेश्वरलाल, शंकरलाल पिता मांगीलाल तेली को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये जारी नोटिस की पालना में अपीलार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री प्रदीप कुमार शर्मा, उपस्थित हुए। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमित सुनवाई की जाकर पटवारी हल्का मोही से मौके व रिकॉर्ड की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय में पटवारी हल्का मोही द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का यह अंकन किया गया कि ग्राम मोही की आराजी नं. 2593 गै.मु चाह के पश्चिम की तरफ प्याऊ बनी हुई है। जो कि श्री नारायणलाल, गणेशलाल, रामेश्वरलाल, शंकरलाल पिता मांगीलाल तेली निवासी मोही की खातेदारी भूमि में है। तथा आराजी नं. 2592 गै.मु. रास्ता श्री नारायणलाल, गणेशलाल, रामेश्वरलाल, शंकरलाल पिता मांगीलाल तेली के नाम दर्ज होकर आराजी नं. 2606 रकबा 0–12 किस्म बिलानाम

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

रास्ते से लगा हुआ है। आगे 2593 आ.चा. तक मौके पर रास्ता खुला हुआ है। आराजी नं. 2593 आ.चा. के पूर्व दिशा में कुएं का फेरा बना हुआ है। जो कि खातेदार श्री नारायणलाल, गणेशलाल, रामेश्वरलाल, शंकरलाल पिता मांगीलाल तेली के नाम दर्ज रिकॉर्ड है खातेदारों द्वारा उक्त फेरे पर अपनी फसल सुरक्षा हेतु बाड़ लगा रखी है। जिससे प्रार्थीगण के आगे कृषि आराजी में जाने का रास्ता अवरूद्ध हो गया है मौके पर प्रार्थीगण के कृषि आराजी में जाने का रास्ता अवरूद्ध हो गया है। प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह निर्णय पारित किया गया कि राजस्व ग्राम मोही की आराजी नं. 2593 आ.चा. के पूर्वी दिशा में फेरे पर लगाई गई बाड़–रास्ता अवरोधक को हटाने के आदेश दिये जाते है। जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाकर, मौका रिपोर्ट तलब की जाकर व न्यायिक प्रक्रिया की पूर्ण पालना की जाकर निर्णय पारित किया गया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अंतर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत दर्ज प्रकरण का श्रवणाधिकार तहसीलदार को प्राप्त है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत दर्ज प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाकर, मौका रिपोर्ट तलब की जाकर व न्यायिक प्रक्रिया की पूर्ण पालना की जाकर निर्णय पारित किया गया। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द के द्वारा दिनांक 03.09.2012 को पारित आदेश यथावत रखा जाता है। तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय की प्रति लौटायी जावे।

15/4/25

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 15.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)